सीकर डेयरी

सीकर एवं झुंन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना

एनएच–52, जयपुर–सीकर रोड़, पलसाना, जिला–सीकर (राज0) फोन न0– 01576–223862

1	निविदा का नाम	-	दुग्ध संघ में पॉलीपैक दुग्ध वितरण एवं खाली क्रेट संग्रहण एवं दुग्ध राशि संकलन कर संघ में जमा कराना।
2	निविदा संदर्भ	-	निविदा सूचना – सीदुसं / 2020–21 / 2376–84 दिनांक 24.09.2021
3	निविदा की अनुमानित लागत	-	परिशिष्ठ –8 के अनुसार
4	निविदा की अवधि		02 वर्ष
5	अरनेस्ट मनी (अमानत राशि)	-	रू. 100000 / – का डी.डी. (अक्षरे एक लाख रूपये) (सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सीकर के पक्ष में)
6	निविदा शुल्क	-	रू. 1000 / – का डी.डी. (अक्षरे एक हजार रूपये) (सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सीकर के पक्ष में)
7	निविदा प्रक्रिया शुल्क	-	रू. 500 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर्स चैक (अक्षरे पांच सौ रूपये) (Managing Director, RISL payable at Jaipur.)
8	निविदा आवेदन / डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	-	29 सितम्बर, 2021 प्रातः 10 बजे से 14 अक्टूबर, 2021 सायं 5.00 बजे तक
9	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	-	29 सितम्बर, 2021 प्रातः 10 बजे से 14 अक्टूबर, 2021 सायं 5.00 बजे तक
10	निविदा शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि भौतिक रूप से संघ में जमा कराने की दिनांक एवं समय	-	16 अक्टूबर , 2021 दोपहर 1.00 बजे तक
11	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	-	18 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2.00 बजे
12	निविदा खोलने का स्थान	-	Sikar & Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., N.H ,52 Sikar Road Palsana Distt. – Sikar (Rajasthan) – 332402 PH- 01576-223863
13	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	-	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ई–टेंडर हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

(अ) सामान्य

1. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक संख्या एफ.1(1) एफ.डी./जी.एफएण्डए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नम्बर 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रू. तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रू. अधिक राशि के कार्यो के लिये 1000/– रू. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर चैक मेनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

(ब) बिडिंग डाक्यूमेंट

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से परिशिष्ठ –9 के अनुसार डाउनलोड कर सकते है। इन निविदाओं को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईटwww.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएं।

2. उक्त कार्य की निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर परिशिष्ठ –9 के अनुसार जमा कराए जा सकते है एवं प्राप्त निविदाओं में से योग्य निविदादाताओं की तकनीकी निविदा इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपस्थित निविदादाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष परिशिष्ठ–9 के अनुसार खोली जावेगी, यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।

   अ. निविदाओं की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
   ब.तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.inपर निविदा प्राप्ति कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांक सफल निविदादाताओं को सूचित कर दिया जावेगा।

3. निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in // www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रताका विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है।

4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सीकर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अतिरिक्त शुल्क, (निविदा प्रक्रिया शुल्क) Managing Director, RISL payable at Jaipur. के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संबंधित कार्यालय में तकनीकी निविदा निश्चित समय तक तक जमा कराना आवश्यक है।

5. धरोहर राशि हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ही स्वीकार किये जायेगे।

6. **ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–**
   अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईटwww.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
   ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैघ डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
   स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।
   द. ऑन लाइन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जाएगी।
   य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
   र. कोई भी टैडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिममेदार विभाग नहीं होगा।
   ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
   व. एनेक्जर 1.1 से 1.4 तक ई निविदा प्रक्रिया के भाग है। अतः प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड करें।
7. निविदा सूचना इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in // www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in पर उलब्ध है।
8. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure 1.1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;

f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g. disclose conflict of interest, if any; and

h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure 1.2 :Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Sikar & Jhunjhunu zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Palsana (Rajasthan) for procurement of …………………………. in response to their Notice Inviting bid No……………… Dated ……….. I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure 1.3:<u>Grievance Redressal during Procurement Process</u>

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, Sikar & Jhunjhunu zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Palsana (Rajasthan). The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director, Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan).

1. **Filing an appeal**
   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

2. The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**
   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   (a) Determination of need of procurement.
   (b) Provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
   (d) Cancellation of a procurement process.
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**
   (a) An appeal under Para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
   (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

निविदादाता के हस्ताक्षर

6. **Fee for filing appeal.**
   (a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
   (b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of appeal**
   (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
   (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
      (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
      (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
   (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
   (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No................................of…………………............

Before the……................................... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal ....
   ……………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………..
   ………………….. (Supported by an Affidavit)

7. Prayer:…………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………........

Place …………………………………….

Date……………………………………..

Appellant's Signature

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure 1.4 :Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity willcorrect arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction ofsubtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii)If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(ii) Repeat Orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under :-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall beprocured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा स्वीकृति पत्र
(फर्म/ऐजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

प्रबन्ध संचालक,
सीकर एंव झुंझुनूं जिला दु.उ.स.सं.लि.,पलसाना
सीकर (राज.)

विषय :– निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं नियम पर सहमति बाबत्।
निविदा संदर्भ :–
निविदा आई.डी.नं. :–
कार्य का नाम :–

महोदय,

1. मैंने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र प्राप्त/वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो, परिशिष्ठ, नोटिस आदि जो कि कॉनट्रेक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, को पढ़ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तो का पालन करेंगे।

3. सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मैं/हम उक्त निविदा के संबंध में समय–समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेंगे।

4. मैं/हम निविदा प्रपत्र एवं समय–समय पर जारी संशोधन सहित निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।

5. यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सीकर एंव झुंझुनूं जिला दु.उ.स.सं.लि., प्रबंधन के पास उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्प पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले हुए वह मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये निविदा प्रपत्र को निरस्त करने के साथ–साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त की सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

–: शपथ पत्र :–

(500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं .... पुत्र श्री .... स्थायी पता .... मोबाईल नं. .... ई–मेल आई. ड़ी. .... सत्यापित करता हूॅ कि–

1. उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध संघ की सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।
2. निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार मांगे गये दस्तावेजो आदि की स्वहस्ताक्षर युक्त सत्यापित प्रतियॉ संलग्न कर रहा हूॅ।
3. मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं को–ऑपरेटिव ईकाई (पशुआहार संयंत्र/डेयरी प्लान्ट/बड़ी औद्योगिक ईकाई इत्यादि) के द्वारा कभी भी मुझे ब्लेक लिस्टेड नहीं किया हुआ हैं।
4. में या मेरा रिश्तेदार दूध व्यवसाय व संघ के प्रतिस्पर्धी डेयरी से जुड़ा नही है। आरसीडीएफ सें सम्बन्धित अन्य संघो मे अयोग्य घोषित नही किया हुआ है। अगर दर स्वीकृती के उपरान्त भी यह पाया जाता है तो मेरी संघ मे जमा समस्त राशियां जब्त करते हुए टेण्डर निरस्त कर दिया जावें।
5. यह कि मैं/हम जिला दुग्ध संघ, सीकर अथवा संघ से सम्बद्ध किसी भी समिति के कर्मचारी अथवा संघ अथवा समितियों के संचालक मण्डल के सदस्य अथवा उनके आश्रित नहीं है।
6. मैने/हमने निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तो का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूॅ।
7. यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावें।
8. साथ ही यदि तकनीकी निविदा में, मैं असफल रहता हूॅ तो मेरी वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम .... **(आवेदक)**

स्थान .... **मोबाईल नं.** ....

दिनांक ....

–: शपथ पत्र :–
(500 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं .... पुत्र श्री .... स्थायी पता .... मोबाईल नं. .... ई–मेल आई. ड़ी. .... सत्यापित करता हूँ कि–

अभी मेरे पास इन्सुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का टेण्डर स्वीकृत होने पर एक माह में इन्सुलेटेड वाहन / टेम्पो संघ में सप्लाई हेतु उपलब्ध करा दूंगा। यदि समय पर उपलब्ध नहीं कराता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी राशि जब्त कर टेण्डर निरस्त कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम .... (आवेदक)

स्थान .... मोबाईल नं. ....

दिनांक ....

Please paste photo

भाग – अ ''तकनीकी निविदा''

(नोट – संबंधित सूचनायें / दस्तावेज वेबसाईट पर अपलोड करें।)

1	दुग्ध परिवहन मार्ग का नाम :–	
2	निविदादाता/फर्म/व्यक्ति/संस्था का नाम	
3.	प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप	
	प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप का नाम मय पता	
	प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन नं.	
4	निविदादाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर)	
	(ई–मेल आई.डी.)	
5	अमानत शुल्क रू. 100000/– रूपये एक लाख मात्र (सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना–सीकर के पक्ष में)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
6	निविदा शुल्क रू. 1000/– रूपये एक हजार मात्र (सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पलसाना–सीकर के पक्ष में)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

7	निविदा प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– एक हजार मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बेंकर्स चैक (Managing Director, RISL payable at Jaipur.)	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
8	निविदादाता का स्थाई पता (साक्ष्य के लिए आधार कार्ड की सत्यापित प्रति)	
9	निविदादाता/फर्म का पैन नम्बर (फोटो प्रति अपलोड करें।)	
10	निविदादाता का जी.एस.टी.नं. की प्रति अपलोड करे। या 500/– रू0 का शपथ पत्र में लिखकर अपलोड करे । उपलब्ध करवाने हेतु।	
11	स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित केन्सल चैक अपलोड करे। (निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में ई.एम.डी. लौटाने हेतु)	
12	परिशिष्ठ – 1 के एनेक्जर 1.1 से लेकर 1.4 तक के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड करें।	
13	परिशिष्ठ – 2 के अनुसार निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तो पर सहमति।	
14	परिशिष्ठ – 3 शपथ पत्र सहित	
15	परिशिष्ठ – 4 के अनुसार शपथ पत्र	
16	परिशिष्ठ – 8 अनुसार चाही गई सूचनाऐं।	
17	संलग्न शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदादाता द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड करें।	
18	एफएसएसआई एक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा पंजीकृत वैध प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे। या 500/ का शपथ पत्र	
19	इन्सूलेटेड वाहन के निम्न प्रमाण पत्रो की छाया प्रतियां अपलोड करें।	
	रजिस्ट्रैशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति	
	फिटनेस प्रमाण पत्र की छाया प्रति	
	बीमा प्रदुषण मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति	
20	वाहन मोडल वर्ष 2018 से पुराना ना हो।	
21	साझेदारी फर्म होने पर पार्टनरशिप हिस्सेदारो का अनापति प्रमाण पत्र	
22	वाहन का मालिकाना हक निविदादाता के स्वयं का होना चाहिये। पावर ऑफ अर्टनी मान्य नहीं होगी।	
23	यदि निविदादाता के पास निविदा भरते समय वाहन नहीं होने की स्थिति में नया वाहन खरीदने पर निविदादाता को रिक्त स्थान में लिखे। नया वाहन खरीदा जायेगा या 2018 या इसके बाद का वाहन उपलब्ध करवा दिया जावेगा जिसका 500/– रू0 का स्टाम्प संलग्न करना होगा।	
24	सीकर दुग्ध संघ मे पूर्व / वर्तमान मे कार्यरत परिवहन अनुबंधको को ईनिविदा मे भाग लेने हेतु संघ का बकाया नही प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
25	अन्य प्रमाण पत्र निविदा शर्तो के अनुसार (फोटो प्रति अपलोड करें।)	
26	गत दो वर्ष का टर्न ऑवर, इनकम टेक्स रिटर्न एवं ऑडिटेड बैलेन्स शीट	
सफल निविदादाता को परिशिष्ठ – 8 के अनुसार बैक गारन्टी 30 माह की अवधि हेतु किसी भी अधिकृत/राष्ट्रीयकृत बैक की जमा करानी होगी।		

नोट : :– वित्तीय भाग में प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक दरे केवल निर्धारित शीट में प्रस्तुत की जानी चाहिए और निर्धारित शीट में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर डेयरी

सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,

निविदा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य नियम

1. निविदा प्रपत्र के भाग ''अ'' में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व निविदा शर्तो का विवरण दिया गया है। निविदादाता को अपनी सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। समस्त दस्तावेजों की प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट स्केन कर संलग्न करते हुये पृथक रूप से अपलोड किये जाने हैं।

2. निविदा प्रपत्र का **भाग ''ब'' (BOQ)** वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी हैं तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक निर्धारित प्रपत्र में अलग से अपलोड किया जाना हैं। दर शब्दों एवं अंकों में अलग–अलग स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए।

3. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग ''अ'' में चाही गई वांछित सूचनाएं एवं दस्तावेजों सम्बन्धित कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं के सम्बन्धित **भाग ''ब'' (BOQ)** वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

4. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत भाग ''अ'' में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति या निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत **भाग ''ब'' (BOQ)** वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदा प्रपत्र के **भाग ''ब'' (BOQ)** वित्तीय निविदा में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अपलोड किया जाना हैं। निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये भाग ब के नमूना प्रपत्र में दरें भरी हुई होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6. अमानत राशि, फार्म फीस, प्रोसेसिंग फीस के डीडी संघ में जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा के 'अ' भाग तकनीकी निविदा नहीं खोली जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर ड़ेयरी
सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़,

निविदा सूचना टेण्डर फार्म विवरण

1.0 <u>निविदा भरने की विधि</u>

1.1 दुग्ध परिवहन की दर प्रति लीटर में भरें।

1.2 निविदा साफ शब्दो/अंकों में भरी होनी चाहिये एवं किसी प्रकार की कटिंग पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। शब्दों एवं अंकों के मार्जिन दर प्रति लीटर में अन्तर पाये जाने पर दोनों में से न्यूनतम लिखी मार्जिन दर प्रतिलीटर को ही मान्यता दी जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं प्रस्तुत प्रपत्रों की समस्त छाया प्रतियों पर निविदादाता हस्ताक्षर करे व संपूर्ण निविदा प्रपत्र अपलोड करें।

1.3 निविदा फार्म दो अलग–अलग (भाग 'अ' तकनीकी भाग एवं भाग 'ब' वित्तीय मार्जिन भाग) मे अपलोड करना होगा जिस पर मार्ग का नाम अंकित करना होगा। भाग 'अ' में सक्षमता, योग्यता की परख के उपरान्त सफल/ योग्य पाये जाने पर ही भाग 'ब' को उसी दिन या निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। भाग 'अ' में अयोग्य पाये जाने वाले निविदादाता को अयोग्य माना जाते हुए 'ब' भाग वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

1.4 दरें दशमवल पैसों में स्वीकार नहीं की जावेगी, अतः निविदादाता अपनी दरें राउण्ड अप पैसों में देगा यदि रूपये व पैसे सहित दर है तो **<u>रूपये व दशमलव पश्चात् दो अंकों में ही पैसे लिखेगा।</u>**

2.0 <u>अमानत राशि</u>

2.1 निविदा फार्म के साथ एक लाख रू0 अमानत राशि की डीडी सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना–सीकर के नाम से स्केन करके अपलोड करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। जमा राशि पर संघ द्वारा ब्याज देय नहीं होगा। मूल डीडी निर्धारित समय पर कार्यालय मं जमा करानी होगी। डी.डी. जमा नहीं कराने पर टेण्डर पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.2 सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् बाकी सभी की अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

2.3 न्यूनतम निविदादाता की मार्जिन दर प्रतिलीटर स्वीकृत करने अथवा कार्यादेश देने के पश्चात् अनुबन्ध सम्पादन अथवा कार्य प्रारम्भ नहीं करने की दशा में अमानत राशि जब्त करने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित है।

2.4 किन्हीं आंतरिक अथवा वैधानिक कारणों से समस्त निविदाओं को निरस्त करने की स्थिति में या न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रबन्धन संबंधित निविदादाताओं की अमानत राशि लौटा सकेगा जो सभी को मान्य होगा।

2.5 सामान्य परिस्थितियों में अमानत राशि जो न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा कराई गयी हैं, उसे अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

2.6 यदि अमानत राशि का ड्राफ्ट संघ में जमा होता है तो निविदादाता ऐसी जमा की पक्की रसीद प्राप्त कर एवं भुगतान के समय उक्त जमा रसीद को समर्पित करें। संघ में जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.7 निविदादाता जिसके पास वाहन के पत्रादि उपलब्ध होंगे का ही दर भाग टेण्डर कमेटी द्वारा खोला जायेगा। या वाहन के पत्रादि नही होने पर 500/– रू. के नोनज्युडिज्शियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र देना होगा।

3.0 <u>निविदादाता की योग्यतायें</u>

3.1 संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य, समिति सचिव, अध्यक्ष बूथ पार्लर संचालनकर्ता एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वंय, पत्नी, आश्रित पुत्र एवं पुत्र वधु) निविदा में भाग नही ले सकेगे । निविदादाता स्वंय के अलावा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अन्य किसी दूसरे के नाम से श्वेत– श्याम निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेगें।

3.2 निविदा कर्ता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिये। निविदाकर्ता न्यायालय से घोषित अपराधी/ दीवालिया करार नहीं होना चाहिये।

3.3 निविदादाता को पंजीकृत भागीदारी फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रजिस्टर्ड डीड अपलोड करने होंगे। इस हेतु निविदादाता को 500/– रु के नवीन स्टाम्प पर पावरआफ अटोर्नी अपलोड करनी होगी।

3.4 ऐसी फर्म जो प्रोपराईटरशिप के रूप में हैं उसमें मालिक का स्वयं का निविदा में भाग लेना अपेक्षित है अन्यथा पॉवरऑफ अटोर्नी के द्वारा प्रतिनिधि अथवा प्रबन्धक भाग ले सकेगा।

3.5 अनुबन्धकर्ता अपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/ संस्था/ व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं कर सकेगा जो कि संघ के हित में नहीं हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

3.6 (अ) वाहन पंजीयन फिटनेस बीमा निविदादाता के नाम होना आवश्यक है व स्वयं द्वारा सत्यापित पंजीयन पत्रादि की प्रति अपलोड करनी होगी। **2018 से पुराना मॉडल स्वीकार नहीं होगा।**

3.7 निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो जाने पर उसे निर्धारित अवधि में वाहन लगाना होगा, निर्धारित अवधि तक वाहन नहीं लगाने वाले अनुबन्धकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि को जब्त करते हुए अनुबंधक ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाएगा।

3.8 निविदादाता का गत दो वर्ष का टर्नओवर निम्न प्रकार होना चाहिए। इसके लिए गत दो वर्ष की इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोप्रति संलग्न करना आवश्यक है। 1. रींगस दिवराला मार्ग 1.00 करोड़ प्रति वर्ष 2. खाटू दांतारामगढ़ मार्ग 2.00 करोड़ प्रति वर्ष 3. नीमकाथाना मार्ग 2.00 करोड़ प्रति वर्ष 4. श्रीमाधोपुर मार्ग 1.00 करोड़ प्रति वर्ष 5. रामगढ़ मार्ग 4.00 करोड़ प्रति वर्ष 6. खेतड़ी मार्ग 4.00 करोड़ प्रति वर्ष 7. सीकर शहर मार्ग 4.00 करोड़ प्रति वर्ष 8. उदयपुरवाटी मार्ग 2.00 करोड़ प्रति वर्ष 9. रानोली लोसल मार्ग 50 लाख प्रति वर्ष।

3.9 डिफालटर दुग्ध वितरक, बकाया राशि वाला वितरक, चैक अनादरण होकर राशि अब तक संघ में जमा नहीं करवाने वाला वितरक, पूर्व अनुबन्ध शर्तो का उल्लघंन करने वाला वितरक, निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

3.10 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपने नाम या किसी दूसरे के नाम दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में सरस दुग्ध उत्पादो की प्रतिस्पर्धा अन्य ब्रान्ड में लिप्त व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

4.0 निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के कानूनी अधिकार

4.1 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिवार्य है कि वह फर्म का स्वयं मालिक हैं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि हैं अथवा भागीदार है अथवा प्रबन्धक है। इन समस्त परिस्थितियों में फर्म के मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को 500/– रु के स्टाम्प पर पॉवरऑफ अटोर्नी फार्म के साथ अपलोडकरना होगा।

5.0 अनुबन्ध अवधि, समाप्ति, नवीनीकरण, भंग आदि

5.1 निविदा अवधि कार्य आदेश दिये जाने से अनुबन्ध के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये आवंटित किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबन्ध अवधि को उसी दर पर उन्हीं नियम एवं शर्तो पर अनुबन्ध तीन माह तक की अवधि के लिए ओर बढाया जा सकेगा। यदि निविदादाता द्वारा कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व छोड दिया जाता है तो उनके द्वारा जमा सिक्युरिटी राशि जप्त कर ली जावेगी एवं उन्हे ब्लेक लिस्टेड कर दिया जावेगा। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है या निर्धारित वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है या संघ विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल होना पाया जाता हैं तो प्रबन्ध संचालक के पास सिक्यूरिटी जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

5.2 प्रबन्ध संचालक आवश्यकता नहीं होने पर या किन्ही अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध का संचालन आगामी अवधि के लिये करना सम्भव नहीं हो तो डेयरी ठेकेदार को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध की समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

5.3 यदि अनुबन्ध कर्ता अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है जिसके कारण संघ को लगातार हानि होना प्रमाणित होता है, अनुबन्धकर्ता गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता है, संघ की सम्पतियों को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, संघ के स्टाफ के साथ मारपीट करना, डराने धमकाने की गतिविधियां करता है अथवा अनुबन्धित कार्य करना बन्द करता है अथवा अनुबन्धकर्ता के विरूद्ध किसी भी कारणवश पुलिस विभाग में अपराधिक मामला दर्ज होना पाया जाता हैं तो अनुबन्ध भंग की श्रेणी माना जायेगा इस संबंध में प्रबन्ध संचालक के पास यह विशेषाधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संघ के हितों को सुरक्षित रखते हुए अनुबन्ध की समाप्ति/ समुचित आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

5.4 निविदा मे किसी भी शर्त को परिवर्तन करने/संशोधन करने हटाने/जोड़ने का अधिकार संघ प्रशासन/प्रबन्ध संचालक को होगा।

5.5 ई निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।

6.0 धरोहर राशि

6.1 सफल अनुबन्धकर्ता वितरक की अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार है धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी।

6.2 धरोहर राशि की मात्रा में कमी अथवा बढ़ोतरी सक्षम कमेटी की अनुशंषा अथवा काम में कमी अथवा वृद्धि के मध्यनजर प्रबन्ध संचालक समुचित निर्णय ले सकते हैं।

6.3 अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् समस्त बकाया की वसूली होने के बाद एवं संबंधित अनुमागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु अनुबन्धकर्ता के विरूद्ध किसी भी राज्य अथवा सरकार के विभाग द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय डिमाण्ड को भरने हेतु संघ को बाध्य किया जाता है एवं उसकी धरोहर राशि अथवा देय भुगतान पर रोक लगा दी जाती है अथवा सीधे भुगतान उन्हें स्थानान्तरित करने के आदेश संघ को मिलते हैं तो ऐसे समस्त भुगतान ठेकेदार को किये हुये माने जायेंगे जिसका संघ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6.4 संघ की किसी भी प्रकार की बकाया राशि की वसूली अनुबन्धकर्ता से संघ में जमा धरोहर राशि एवं बैंक गारण्टी को जब्त कर संघ में समायोजन कर ली जायेगी। इसके बाद भी यदि कोई राशि बकाया रहती है तो उसकी चल/अचल सम्पती से की जावेगी तथा बकाया वसूली हेतु पर्याप्त सम्पति नहीं होने या वसूली नहीं होने का अन्य कोई जरिया नहीं मिलने पर बकाया की वसूली अनुबन्धक के गारन्टर से की जावेगी तथा एवं बकाया राशि की वसूली हेतु अनुबन्ध शर्तो के प्रावधान अनुसार व पुलिस/न्यायिक कार्यवाही कर बकाया राशि वसूली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

6.5 नकद धरोहर राशि के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता को माह 30 की अवधि के लिये अद्यतन निर्धारित परफोरमेन्स बैंक गारन्टी रू. 500/— के स्टाम्प पेपर पर किसी भी अधिकृत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से संघ के नाम बनवानी होगी। उक्त बैंक गारन्टी को भुगतान/जब्त करने अथवा भुगतान प्राप्त करने अथवा लौटाने के लिये धरोहर राशि चेपटर में बने अन्य नियम इस हेतु समानान्तर रूप से लागू हो सकेंगे। अनुबन्धों के नवीनीकरण की दशा में प्रचलित बैंक गारन्टी का नवीनीकरण आपसी सहमति एवं आपस में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार करवाना होगा। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

6.6 विभिन्न परिवहन मार्गो की धरोहर राशि, बैक गारंटी, क्रेट्स सुरक्षा राशि एवं अमानत राशि का विवरण परिशिष्ठ सं. 8 पर संलग्न किया गया है।

7.0 <u>निविदा प्रक्रिया की सामान्य जानकारी</u>

7.1 सामान्य रूप से यथोचित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं संघ की नजर में बहुत अधिक व्यक्ति व्यवसाय इस कार्य क्षेत्र में बाजार में उपलब्ध यदि हैं तो न्यूनतम तीन निविदायें प्राप्त होने पर निविदा खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी, किन्तु यदि संघ के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिये एवं होने वाली भावी हानियों को बचाने के उद्देश्य से अथवा टेण्डर प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण संघ के कार्य जाम हो जाने की दशा में अथवा अन्य आन्तरिक कारणों के मध्यनजर सक्षम कमेटी की अनुशंषा पर प्रबन्ध संचालक महोदय तीन से कम निविदा होने अथवा सिंगल निविदा होने पर भी संघ हित में निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

7.2 विषम परिस्थितियों में अथवा निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से लेकर निविदा खोलने की तिथि के मध्य तक किसी भी प्रकार की परिस्थिति की परिवर्तन अथवा प्राप्त निविदाओं स्थिति, कार्य आकस्मिकता, महत्व अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों के मध्येनजर प्रबन्ध संचालक महोदय को निविदा की किसी भी शर्त संशोधन करने निरस्त करने अथवा शर्तो में शिथिल करने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध करने के पश्चात् भी अनुबन्ध की शर्तों को लागू करने, कम करने, शिथिल करने, किसी भी शर्त को समाप्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा किसी भी शर्त को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय के पास रहेगा।

7.3 किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने, अस्वीकृत करने अथवा वितरक मार्जिन को नेगोशियेशन का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

7.4 न्यूनतम मार्जिन वाली निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।

8.0 <u>प्राकृतिक आपदायें एवं राजकीय बाध्यतायें</u>

8.1 किसी भी प्राकृतिक आपदा यथा तूफान, व्यापक हड़ताल/हिंसा—उपद्रव, भूकम्प अथवा किसी राजकीय कानून के लागू हो जाने के कारण अनुबन्ध का चालू रखना सम्भव नहीं रखने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष होने वाली अपनी अपनी हानि को स्वयं वहन करेंगे तथा अनुबन्ध भंग होने की स्थिति में संघ का कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9.0 <u>विवादों का निपटारा/विवाचन (आरबींट्रेशन)</u>

9.1 सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सीकर और निविदादाता के मध्य इन शर्तों में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत मान्य होगा। यदि संघ के मत से कोई निविदादाता असंतुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को संघ द्वारा नियुक्त एकल विवाचक (सोल आर्बीट्रेटर) को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, एवं समस्त कार्यवाही आर्बीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन एक्ट 1996 के तहत सम्पादित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां उसी स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगी, जिस स्थान पर सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है, अर्थात सीकर (राजस्थान) होगा। तद्उपरान्त सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र केवल और केवल सीकर की अदालत के न्याय अधिकार क्षेत्र में आयेगा।

9.2 सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र सीकर ही होगा।

9.3 किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसका समाधान पंच निर्णायक कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा, जिसमें प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया हुआ निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10.0 <u>निविदा स्वीकार करने का अधिकार</u>

10.1 सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सीकर किसी भी निविदा अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। संघ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार करें।

11.0 <u>निविदा हस्तान्तरण अथवा अन्य व्यक्ति को सबलेट करना</u>

11.1 प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना अनुबन्ध का हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा। अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध को किसी भी अन्य को सबलेट नहीं कर सकेगा।

11.2 यदि प्रबन्धन की अनुमति पर अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध हस्तान्तरण करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में

1. रू. पच्चास हजार संघ में शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे।
2. ऐसा करने के लिये एक माह का नोटिस देना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

3. वर्तमान अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त किया जावेगा एवं प्रस्तावित पक्षकार नवीन अनुबन्ध पत्र, धरोहर राशि बैंक गारन्टी इत्यादि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर लेता है तत्पश्चात् ही संघ में जमा धरोहर राशि, बैंक गारन्टी पुराने पक्षकार को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् लौटाई जा सकेगी।
4. इस सम्बन्ध में संघ द्वारा आपसी सहमति पर एवं अन्य विशेष शर्तें / प्रतिबन्ध यदि संघ लागू करता है तो तीनों पक्षकारों को मान्य होगी।

12.0 <u>अनुचित साधनों या युक्तियों का उपयोग</u>

12.1 निविदादाता द्वारा निविदा को स्वीकृत करवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा अनुचित प्रभाव का उपयोग अथवा उपहार, किसी प्रकार की उत्कोच संस्था के किसी भी कर्मचारी / अधिकारी को देना पाया जाना अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी समस्त गतिविधियों पर संघ में प्रतिबन्ध हैं।

12.2 अनुचित साधनों अथवा अनुचित दबाव प्रभाव का प्रमाण होने की स्थिति में निविदादाता की निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

13.0 <u>बकाया राशियों की वसूली</u>

13.1 संघ अपनी समस्त बाकियात की वूसली अनुबन्धकर्ता से करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अनुबन्धकर्ता से बाकियात वसूली उनकी चल / अचल सम्पति से की जावेगी तथा अनुबन्धकर्ता के गारन्टर से बकायात की वसूली की जायेगी जिसके लिए अनुबन्धकर्ता व चल / अचल सम्पति मे ंहितबद्ध उनके परिवार व गारन्टर का परिवार किसी प्रकार का एतराज नहीं कर सकेगा एवं संघ चाहे जिस प्रकार बाकियात की वसूली करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत एवं स्वतंत्र होगा। बाकियात की स्थिति में एवं अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा संघ में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बैंक गारन्टी को भुनाकर संघ में स्थानान्तरित करवा लिया जावेगा तथा बाकियात की वसूली के लिए पुलिस कार्यवाही / न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाकर बाकियात की वसूली करने हेतु संघ पूर्ण रूप से अधिकृत एवं स्वतंत्र रहेगा।

13.2 अनुबन्धकर्ता के अनुबन्ध के सम्पादन के दौरान कार्य में की गई लापरवाही अथवा राजकीय कानून का उल्लंघन किये जाने के परिणाम स्वरूप भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा पेनल्टी अथवा बकाया राशियों का दावा पेश करने के कारण यदि संघ को किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में संघ एक माह का नोटिस देकर उक्त राशि का पुनर्भरण करने के लिये संघ अनुबन्धकर्ता को सूचित करेगा। यदि संघ की हानि की पूर्ति अनुबन्धकर्त्ता नहीं करता है तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा संघ कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये सक्षम रहेगा।

13.3 अनुबन्धकर्ता, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता केन्द्रीय / राजकीय कर, अधिभार, शुल्क, लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिए अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

13.4 अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान संघ में होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि अथवा बकाया भुगतान होने पर अनुबन्धकर्त्ता पर 0.10 प्रतिशत (दशमलव एक शून्य प्रतिशत) प्रतिदिन की गणना करते हुये ब्याज व शास्ति पेटे राशि वसूल की जावेगी। किन्तु उक्त ब्याज की दर में कमी प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर तथा संघ का हित सुरक्षित रखते हुए आपसी सहमति के आधार पर ही की जा सकने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

13.5 टोल शुल्क तथा अनुबन्ध अवधि मे नये चालु होने वाले टोल की राशी का पूर्नभरण दुग्ध संध द्वारा नही किया जायेगा, इसके लिऐ अनुबन्ध कर्ता स्वयं व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक :—

नाम :—

1. हस्ताक्षर साक्षी :—

पूर्ण पता :—

नाम :—

मय मोबाईल नम्बर

पता :—

2. हस्ताक्षर साक्षी :—

नाम :—

पता :—

दुग्ध वितरण खाली क्रेट्स संग्रहण व दुग्ध बिक्री राशि संग्रहण कर संघ में या संघ के बैंक खाते में जमा करने के कार्य हेतु विशेष शर्तें –

अ दुग्ध वितरण कार्य

1. अनुबन्धकर्ता वितरक स्वयं के खर्चे पर संघ निर्देशानुसार अपने दुग्ध वाहन पर सीकर/झुन्झुनू शहर के लिये टोण्ड दुग्ध की नीली थैली एंव अन्य मार्गो पर गोल्ड दुग्ध की थैली की डिजाइन की पैटिंग करने के लिये बाध्य होगा एवं पैटिंग खराब होने की स्थिति में अपने खर्चे पर सही करवाना होगा। इसी प्रकार अनुबन्ध समाप्ति पर उपरोक्त पेंटिग को स्वयं के खर्चे पर मिटाना होगा, इसके पश्चात ही नियमानुसार जमा राशि लौटाई जावेगी।
2. विशेष परिस्थितियों में दूध वितरण कार्य बन्द रखा जा सकेगा, जिसकी कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। संघ के दूध वितरण जोन/मार्ग अनार्थिक होने पर पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के बाद मार्ग पर दूध वितरण का कार्य बन्द किया जा सकेगा। जिसके लिये कोई भी हर्जाना/ क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
3. दुध वितरक परिवहन मार्ग मे संशोधन किया जा सकेगा या दूध वितरण मार्ग बन्द भी किया जा सकता है। दुध वितरक मार्ग पर संशोधन करने पर आपको दी जाने वाली मार्जिन राशि दूरी व दूध की मात्रा मध्यनजर रखते हुए मार्जिन दर का तय किया जा सकेगा।
4. इन्सुलेटेड वाहन के स्थान पर विशेष परिस्थिति में साधारण वाहन का उपयोग करने पर या इन्सुलेटेड वाहन का इन्सुलेशन खराब होने पर वितरक/निविदादाता को संघ द्वारा स्वीकृत मार्जिन राशि का 75 प्रतिशत से भुगतान किया जायेगा।25 प्रतिशत कटौती
5. डीजल की दरों में सरकार द्वारा कमी/वृद्धि होने पर उसी अनुपात में नियमानुसार मार्जिन में कमी/वृद्धि की जावेगी। जो कुल मार्जिन का 30 प्रतिशत व्यय डीजल मद में मानते हुए अनुमानित कम/ज्यादा किया जावेगा। यदि डीजल बढ़ोतरी/ घटोतरी होती है तो **दशमलव दो अंकों** तक राउण्ड अप कर गणना की जावेगी अर्थात् आधे पैसे की नहीं की जावेगी। डीजल वृद्धि/कमी दरो की गणना के आधार पर की जायेगी।
6. माल वितरण के दौरान संघ दुग्ध वितरण केन्द्रों पर अनुबन्धकर्ता वितरक की लापरवाही के कारण होने वाली समस्त हानियों के लिये अनुबन्धकर्ता वितरक जिम्मेदार होगा।
7. दुग्ध वितरक के स्टॉफ द्वारा चोरी करते हुए पाये जाने पर पकड़े गये माल की चोरी की मात्रा की कीमत का बीस गुना राशि शास्ती के रूप में अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल की जा सकती है। साथ ही चोरी में लिप्त कर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पुनः आपके अथवा अन्य अनुबन्धकर्ता वितरक के वाहन पर सेवा हेतु नहीं रखा जा सकेगा।
8. अनुबन्धकर्ता वितरक/परिवहन ठेकेदार अपने दुग्ध सप्लाई के वाहन पर जो ड्राईवर/ हेल्पर लगाये जायेगे उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अर्थात् वो बालिग की श्रेणी में होना चाहिए। अनुबन्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने पर यदि किसी भी वाहन पर ड्राईवर / हेल्पर की 18 वर्ष से कम आयु का पाया गया तो उसे टेण्डर शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उक्त वाहन के दुग्ध वितरक/ परिवहन ठेकेदार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जावेगी। जिसके अन्तर्गत उसका टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
9. वाहन पर कार्यरत स्टाफ की न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता प्राथमिक पास होना चाहिए। उसकी पहचान हेतु वोटर आईडी /आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी देनी होगी।
10. अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा किसी दिन माल वितरण नहीं करने पर संघ द्वारा अनुबन्धकर्ता वितरक के हर्जे खर्चे व जोखिम पर व्यवस्था यदि की जाती हैं तो समस्त अतिरिक्त खर्च मय हानि की वूसली अनुबन्धकर्ता वितरक से की जावेगी तथा प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार शास्ती भी वसूल की जावेगी परन्तु सामान्यतः संघ वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
11. प्राकृतिक आपदा व हड़ताल जैसे कारणों से अथवा अन्य कारणवश माल वितरण नहीं हो पाता है तो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज संघ द्वारा देय नहीं होगा।
12. किसी भी जोन पर न्यूनतम दुग्ध मात्रा की बिक्री की गारन्टी देने हेतु संघ बाध्य नहीं है।
13. संघ अथवा उसका अधिकृत अधिकारी को अनुबन्धकर्ता वितरक के वाहन/ऑफिस/ सप्लाई प्वांइट/अन्य स्थान जो दूध वितरक के कार्य मे लिया जा रहा है, को किसी भी समय चैक करने का अधिकार होगा। इस संबंध में अनुबन्धकर्ता वितरक व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। सहयोग नही करने की स्थिति मे शास्ती आरोपित की जावेगी एवं सिक्योरिटी जब्त कर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
14. अनुबन्धकर्ता वितरक के कर्मचारियों प्रतिनिधियों को संघ द्वारा दिया गया पत्र/ परिपत्र/ घी/ दुग्ध व अन्य सामान अनुबन्धकर्ता वितरक को दिया हुआ समझा जायेगा। उपरोक्त के निर्दिष्ट बूथ अथवा अनुबन्धककर्ता वितरक स्वयं के पास नहीं पहुंचने की स्थिति में जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की ही होगी। अनुबन्धकर्ता को अपने वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति एवं हेल्पर का परिचय पत्र संघ का प्रारम्भ करने से पूर्व दो प्रति मे प्रस्तुत करना।

निविदादाता के हस्ताक्षर

15. उपभोक्ताओं/दुग्ध विक्रेताओं को अच्छी सेवा देने हेतु संघ के प्रबन्ध संचालक अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध की किसी भी शर्त में परिवर्तन/ संशोधन नई शर्ते लागू करने का अधिकार रखते हैं।

16. अ अनुबन्धकर्ता वितरक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ से दुग्ध की थैलिया गिनकर लिकेज छांटकर एवं जाँच कर ले जाने के पश्चात बूथ/पार्लर/एजेन्सी/शोप एजेन्ट इत्यादि को लिकेज थेली नही देगा किसी भी तरह के विवाद के लिए अनुबन्धकर्ता वितरक स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रबंध संचालक द्वारा मान्य विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी दशा में दुग्ध वापस सयंत्र पर नहीं लिया जावेगा। प्राकृतिक आपदा, रास्ता जाम, हड़ताल, बाजार बन्द, वाहन दुर्घटना आदि कारण होने पर दुग्ध वापस दुग्ध गुणवत्ता के आधार पर संघ में लिया जावेगा।

ब प्राकृतिक आपदा, रास्ता जाम प्रमाणीकरण पश्चात् हड़ताल, दंगा वाहन (दुर्घटना प्रमाणिकरण पश्चात होने पर दुग्ध संघ में बिना किसी क्षतिपूर्ति काटे वापस लिया जायेगा। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रबन्ध संचालक महोदय से स्वीकृति पश्चात मार्ग परिवर्तन कर गन्तव्य स्थान पर दुग्ध आपूर्ति करने पर अतिरिक्त तय की गई दूरी को भुगतान अनुपातिक दर पर देय होगा। यदि अनुबन्धकर्ता वितरक की गलती से अथवा अधिकृत विक्रेता द्वारा दूध नहीं लेने के कारण दुग्ध संघ में वापस आता है एवं दुग्ध की गुणवता उचित पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित प्रतिलीटर की मार्जिन से पोलीथीन एवं प्रोसिंसग चार्जेज वसूल किया जावेगा।

17. बूथ एवं दुग्ध वितरण से तात्पर्य मार्ग में वर्तमान में चल रहे विक्रय केन्द्र/बूथ वितरण केन्द्र व भविष्य में संघ द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले विक्रय केन्द्र से होगा। जिनको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेता है। दुग्ध मार्ग की लम्बाई भी आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है तथा आस–पास के गॉवों को जोड़ा/हटाया जा सकता है जो अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा।

18. अनुबन्धकर्ता वितरक को संघ द्वारा उपलब्ध चार्ट डिमाण्ड शीट अनुसार दुग्ध सप्लाई करनी होगी। अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा अपने स्तर पर मार्ग पर वितरण में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि किसी अनाधिकृत विक्रेता को अनुबन्धकर्ता वितरक स्वेच्छा से दुग्ध सप्लाई करता है तो शास्ति आरोपित की जायेगी।

19. यदि अनुबन्धकर्ता वितरक एवं बूथ एजेन्ट/बिक्री केन्द्र के बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ तो इस सन्दर्भ में प्रबंध संचालक का निर्णय अन्तिम होगा।

20. प्रत्येक बूथ पर दुग्ध प्राप्त करने का समय व खाली क्रेट्स वापस करने का समय व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की होगी। अगर हस्ताक्षर नहीं करवाये होंगे तो किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में संघ अधिकृत विक्रेता को हुई वास्तविक हानि मय वितिय जुर्माना भी अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जावेगा।

21. अनुबन्धकर्ता वितरक को मार्ग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा व बिना रूकावट के तथा दुग्ध को सही स्थिति में अधिकृत विक्रेता को समय पर उपलब्ध कराना होगा। उन विक्रेताओं को जो गली अथवा अन्य तंग जगह पर स्थित है, जहां कि बड़े वाहन नहीं जा सकते उन्हें अन्य किसी भी साधन पिकअप/टैम्पू तथा आवश्यकतानुसार वाहन लगाकर दुग्ध विक्रेता के विक्रय स्थल तक समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की होगी। समय पर सप्लाई नही करने पर शास्ती आरोपित की जायेगी।

22. सीकर/झुन्झुनू शहर के अनुबन्धकर्ता वितरक इन शहर के आन्तरिक हिस्सो में सप्लाई करने के लिये छोटे वाहनो जैसे पिकअप/टैम्पू तथा आवश्यकतानुसार वाहन लगाकर सप्लाई करनी होगी। सफल निविदादाता को सीकर दुग्ध संघ प्लांट से शहरी क्षेत्र यथा सीकर/झुन्झुनू शहर तक निर्धारित वाहन एवं शहरी क्षेत्र के आंतरिक हिस्सों में सप्लाई हेतु आवश्यक छोटे वाहनो के दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश प्रदान किया जाएगा।

23. अनुबन्धकर्ता वितरक को प्रातः व सायंकालीन पारी में दुग्ध की सप्लाई समय पर करनी होगी।

24. अनुबन्धकर्ता वितरक को मार्ग के अनुसार तथा संघ द्वारा निर्धारित किये जाने वाले बूथ/एजेन्सी/पालर्र/शोप आदि मार्ग के आस–पास स्थित गॉवों/कस्बो में दुग्ध की सप्लाई करनी होगी।

<u>अ संघ द्वारा वितरक को नकद पर दूध व दुग्ध पदार्थ विक्रय की शर्तें व विक्रय प्रक्रिया :–</u>

1. दुग्ध व दुग्ध पदार्थ के विक्रय के लिए संघ विक्रेता व अनुबन्धित वितरक क्रेता का सम्बन्ध माल विक्रय कानून के प्रावधानो के अनुसार बाध्यकारी सम्बन्ध रहेगा। अनुबन्धित वितरक को दुग्ध विक्रय मांग के अनुसार अग्रिम राशि संघ खाते में जमा हो जाने पर संघ डिस्पेच डॉक पर ही बिल जारी कर दिया जावेगा । विक्रय किये गये माल की कीमत जारी बिल की मात्रा अनुसार संघ को अग्रिम चुकानी होगी । चूकिं वितरक को दूध क्रय पश्चात आम जनता को शुद्व ताजा दूध की सप्लायी जन हित उपयोग का पदार्थ होने के कारण स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था में अड़चन न हो अतः माल की वितरण प्रणाली के निम्न निर्देश पालन करने होगें।
2. अनुबन्धकर्ता वितरक को प्रतिदिन के अलावा औसतन दुग्ध सप्लाई के लिये एक दिन की अग्रिम राशि संघ खाते में जमा रखना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ब **<u>दुग्ध बिक्री राशि संग्रहण कर जमा कराने का कार्य :–</u>**

1. अनुबन्धकर्ता वितरक को दुग्ध विक्रेताओं से दुग्ध राशि संग्रहण करने के लिए अधिकृत अपना स्टाफ/घोषणा पत्र मय नाम, पता, उम्र, फोटो आई कार्ड चार प्रति में जारी करना होगा। जिसकी एक प्रति विपणन प्रभारी, प्रभारी प्लांट, एक प्रति सम्बन्धित स्टाफ को व एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा।
2. बैंक गारंटी की राशि दुग्ध बिक्री राशि को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जा सकेगी।
3. एजेन्ट/डीलर को दुग्ध राशि प्राप्ति रसीद देनी होगी। रसीद प्रस्तुत न होने पर किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं की जावेगी।
4. **<u>सायकालीन दुग्ध वितरण की राशि व अगले दिन प्रातः वितरण की राशि प्रातः वितरण वाले दिन संग्रहित कर दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी।</u>**
5. प्रबन्ध संचालक अथवा प्रभारी विपणन यह पाता है कि अनुबन्धकर्ता दुग्ध विक्रय की राशि अग्रिम जमा नहीं करवा रहा है तथा अनुबन्ध शर्तो का उल्लघंन कर दुग्ध बिना राशि जमा दिये ले जाने का कूटरचित प्रयास करता है तो अनुबन्धकर्ता वितरक की बैक गारन्टी एवं धरोहर राशि की सीमा से अधिक मूल्य का दुग्ध विक्रय हेतु लिया जाता है अथवा यह पाया जाता है कि अनुबन्धकर्ता वितरक लगातार दो बार पूरी विक्रय राशि संघ में या संघ बैक खाते में अग्रिम जमा करवाने में चूक करता है तो उस दशा में संघ का विपणन विभाग अपना स्टाफ लगाकर दुग्ध विक्रय राशि दुग्ध विक्रेता से एकत्रित करेगा। जिसका प्रशासनिक व्यय प्रबन्ध संचालक के दिशा–निर्देशानुसार शास्ति अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जा सकेगा। तथा अनुबन्धकर्ता वितरक के इस गम्भीर कृत्य के लिए प्रबन्ध संचालक बिना नोटिस के अनुबन्ध समाप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतन्त्र होगें तथा सम्पूर्ण रिस्क व कोस्ट खर्च अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जावेगा ।
6. विशेष पर्व यथा होली, शीतला सप्तमी, ईद, शिवरात्री, रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी इत्यादि या विशेष शादी ब्याह के अवसरों में दूध की डिमाण्ड ज्यादा होती है। उस दशा से अथवा सामान्यतया संघ उन दुग्ध विक्रेताओं को जिनकी बिक्री प्रतिदिन पचास हजार रूपये से ज्यादा हो उन्हें सीधा संघ बैंक खाते में राशि जमा कराने के लिये बाध्य कर सकेगा व बैंक जमा रसीद उक्त ऐजेन्ट अनुबन्धकर्ता वितरक को प्रस्तुत करवायेगा। जिससे रोकड़ संग्रहण कार्य सुविधा जनक ढंग से पूर्ण हो सकेगा। इन पर्वो पर संघ अपना स्टाफ लगाकर रोकड़ संग्रह कार्य भी करा सकने के लिये अधिकार सुरक्षित रख सकेगा।
7. संघ की दुग्ध विक्रय राशि को संघ या संघ बैंक खाते में जमा नहीं करवाने की स्थिति में या अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा राशि का गबन कर लेने की स्थिति में या जान बुझकर अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा संघ कोष को रोक लेने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता के वाकयात की वसूली अनुबन्धकर्ता की व गारन्टर की चल/अचल सम्पतियों से की जावेगी तथा धरोहर राशि व बैक गारन्टी संघ में जप्त कर जमा कर ली जावेगी एवं यदि बाकियात वसूली फिर भी नही होती है तो प्रबन्ध संचालक दिवानी एवं फोजदारी न्यायिक प्रकिया का सहारा लेकर भारतीय दण्ड संहिता के अनुरूप न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर बाकियात की वसूली करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
8. अनुबन्धकर्ता वितरक अपने हित में कैश इन सेफ व केश इन ट्राजिट बीमा पॉलिसी लेता है तो उपयुक्त रहेगा इससे वह अपने हित की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकेगा। रोकड़ संग्रहण राशि सुरक्षित रखने व रोकड़ राशि लाने व ले जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता वितरक की ही होगी एवं हर परिस्थिति में संघ की दूघ विक्रय राशि को संघ द्वारा अधिकृत बेंक संघ में या संघ बैंक खाते में चैक/आरटीजीएस/नेफ्ट/ऑनलाईन से जमा कराना अनिवार्य हैं।
9. अनुबन्ध कर्ता द्वारा प्रत्येक माह की 06 तारीख तक परिवहन बिल/केटस स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करना होगा बकाया क्रेट्स पेटे, बकाया राशि, शास्ती व अन्य कटौतियां पश्चात् शेष बची राशि का भुगतान मासिक रूप से कर दिया जायेगा।
10. अनुबन्धकर्ता वितरक को अन्य उत्पाद जैसेः– बटर, पनीर, श्रीखण्ड, फ्लेवर्ड मिल्क, टेट्रापैक आदि का वितरण संघ आदेश से स्वीकृत दर से करना होगा। छाछ पर परिवहन शुल्क दूध अनुसार दिया जाएगा। निर्देशानुसार अन्य उत्पादों का वितरण न करने पर उचित शास्ती आरोपित की जायेगी एवं संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल किया जा सकेगा।
11. संघ द्वारा दुग्ध विक्रेताओं को आवंटित किये गये बूथों का मासिक किराया संघ निर्देशानुसार एकत्र कर संघ में जमा कराना होगा। किराया नहीं देने वाले विक्रेता की सूचना अविलम्ब मार्ग प्रभारी को देनी होगी।
12. राजकीय विधालय/अन्य संस्थानो जिन्हें संघ एक माह तक क्रेडिट उधार दुग्ध देना निर्धारित करती है उन्हें अनुबन्धकर्ता वितरक को पैक्ड दुग्ध/उत्पाद वितरित कर संस्था से प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगा। संस्थान को उधार दिये गये दुग्ध/उत्पाद का मासिक बिल दुग्ध संघ के विपणन विभाग द्वारा संस्था को दिया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा दिये दुग्ध/उत्पाद एवं उधार संस्था द्वारा प्राप्त दुग्ध/उत्पाद की मात्रा में अन्तर आने पर अन्तर राशि मात्रा की वसूली पैक्ड दुग्ध वितरक से होगी। अन्य संस्थानो/स्कूलो/कालेजो/निजी ट्रस्टो इत्यादि को एक माह का उधार उनसे सुरक्षा राशि संघ में जमा लेकर ही दिया जायेगा। यह विपणन अनुभाग सुनिश्चित करेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

13. निविदादाता द्वारा डेयरी मे कार्य करते हुए डेयरी से सम्बन्धित अन्य ब्राण्ड दूध, घी, व अन्य उत्पाद वस्तुओ का व्यापार निजी तौर पर नही करेगा तथा संघ से अनुबन्धित वाहन से नही करेगा। अगर इस प्रकार का व्यापार करते पाया गया तो प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा आगामी शेष अवधि का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
14. निविदादाता द्वारा संरस दुध उत्पाद एवं संघ द्वारा निर्धारित वस्तुओ के अलावा अन्य वस्तुओ का विक्रय/वितरण विक्रेता को नही किया जायेगा। अन्य वस्तुओ का विक्रय करते पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
15. क्रेटस की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी खो जाने पर पूर्ण भरपायी/वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
16. स्वीकृत फर्म को कार्य आवंटन करने से पूर्व संघ के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
17. कोई भी निविदादाता संघ कार्यक्षेत्र में स्वयं नाम से कोई शोप एजेन्सी/पार्लर/बुथ आदि संचालित नही कर सकता।
18. सफल निविदादाता को संघ में एक ही परिवहन मार्ग आवन्टित किया जा सकता है। एक मार्ग की दर न्यून्तम होने पर अन्य दुसरे मार्ग के टेण्डर पर विचार नही किया जायेगा।
19. यदि अनुबंधक सीकर दुग्ध संघ कार्य क्षेत्र में किसी अन्य जिला दुग्ध संघो का/अन्य प्राईवेट डेयरीयों का दुग्ध व दुग्ध उत्पाद सप्लाई करते पाया गया तो संघ में जमा सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुये अनुबंधक को ब्लेक लिस्टिेड कर दिया जावेगा।
20. डीजल की दरो मे कमी/वृद्वि होने पर उसी अनुपात मे नियमानुसार वितरक दर मे कमी/वृद्वी की जायेगी जो 30 प्रतिशत मद मे मानते हुए अनुपातिक कम ज्यादा किया जायेगा। **उदाहरण** – माना कि निविदा दर 70 पैसे प्रतिलीटर स्वीकृत हुई है व डिजल की दर निविदा खोले जाने की दिनांक को 32.85 रू. प्रतिलीटर है। यदि बाद मे डीजल की दर मे 2.00 रू. प्रतिलीटर की वृद्वि होती है तो यह वृद्वि (2.00/32.85X100 6.09 प्रतिशत हुई है। चूकि शर्त के अनुसार 70 पैसे मे से 30 प्रतिशत व्यव डिजल का माना जायेगा, अतः इसमे डिजल का व्यव (70 का 30 प्रतिशत) 21.00 पैसे प्रतिलीटर हुआ। अतः 21.00 पैसे मे 6.09 प्रतिशत की वृद्वि लागू होगी व यह वृद्वि (6.09/100X21.00 1.28 पैसा प्रति लीटर होगी। अर्थात डिजल की दरों मे वृद्वि के पश्चात् नयी दर (70+1.28) 71.28 पैसा प्रति लीटर होगा।
21. दूध की सांयकालीन एवं प्रातः कालीन सप्लायी आपूर्ति बूथ/एजेन्सीवार वितरक द्वारा प्रातः 09.00 बजे तक एवं दोपहर 2.00 बजे तक विपणन शाखा को प्रतिदिन देनी होगी। दूध की डिमाण्ड प्रतिदिन सुबह समस्त बूथ/शोप/पार्लर एजेन्टो/डीलरो से उनके बूथ से प्राप्त करनी होगी। डिमाण्ड प्राप्त नहीं होने पर पूर्व दिवस की डिमाण्ड मानते हुए सप्लायी भेज दी जायेगी। अनुबन्ध टेण्डर होने की तारीख से एक दिन पहले अगले दिन की जाने वाली मोरनिंग सप्लायी एवं बाद में लगातार इवनिंग व मोरनिंग सप्लायी की राशि संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी तथा इसी अनुसार पूरे अनुबन्ध अवधि में प्रतिदिन एक रोज की राशि डीडी/आरटीडीएस/चैक/NEFT के माध्यम से अग्रिम जमा करवायी जाती रहेगी। इसके पश्चात प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृति के पश्चात प्रतिदिन प्राप्त करने वाली दूध की राशि का अग्रिम चैक देना होगा। उस अग्रिम चैक की राशि संघ खाते में जमा आ जाने पर अगले रोज की सप्लायी की जायेगी । यदि अनुबन्धक द्वारा दूध की सप्लायी प्राप्त करने हेतु दिया गया अग्रिम चैक बैक में अनुबन्ध के बैक खाते में निधी कम होने या अन्य किसी कारण से अनादरित कर दिया जाता है तो अनुबन्धक के परिवहन बिलो से दो हजार रूपये की शास्ति राशि काट ली जायेगी। अवकाश के रोज अनुबन्धक को पहले रोज के अनुसार राशि अग्रिम जमा करवानी होगी। चैक अनादरित होने पर अनुबन्धक पर दो हजार रूपये की शास्ति लगायी जायेगी एंव राशि संघ खाते में जमा नहीं होने पर सप्लायी रोकी जा सकती है अथवा अनुबन्ध निरस्त किया जाकर सुरक्षा राशि जप्त की जा सकती है। तीन बार मे चैक बाउन्स होने पर निविदादाता व वाहन दोनो को बलेक लिटेस्ट की कार्यवाही की जा सकती है।
22. यदि निविदादाता अन्य दुग्ध मार्गो से भरी हुयी क्रेटस का आदान–प्रदान करता है तथा कम दर के मार्ग की डिमान्ड अधिक दर वाले मार्ग में डिमाण्ड दर्शाता है या ऐसा करते हुये पाया जाता है, तो निविदादाता के खिलाफ शास्ती आरोपित की जाएगी तथा ब्लेक लिस्टेड/टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।
23. प्रत्येक वाहन को संघ द्वारा निर्धारित मार्ग पर ही चलना होगा। उल्लघंन करने पर शास्ती आरोपित की जायेगी।
24. सफल निविदा दाता को संघ निर्देशानुसार/समय से सप्लाई करनी होगी।
25. सफल निविदादाता को संघ मे 100/– रू नकद जमा करवाकर संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
26. वितरण मार्ग मे आ रहे प्रशासनिक मेला एवं उत्सव जैसे उर्स/मोहरम/खाटुमेला/जीणमाताजी मेला आदि मे स्टाल लगााने व वितरण व्यवस्था एवं टेंट बिजली आदि की व्यवस्था संघ निर्देशानुसार करनी होगी एवं व्यय वितरक द्वारा वहन किया जायेगा स्टाल के संचालन से प्राप्त आय वितरक की होगी शेष मेले एवं उत्सवों जिसमे संध द्वारा भाग लिया जाता है मे स्टाल संचालन का कार्य उसी मार्ग के वितरक द्वारा किया जायेगा।
27. सफल निविदा दाता द्वारा 500 रू. स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
28. न्यायिक क्षेत्र सीकर होगा।
29. किसी भी शर्त को जोड़ना/हटाना/संशोधन करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।
30. किसी भी स्थिति मे संघ द्वारा अधिकृत बूथ एजेन्ट/डीलर के अतिरिक्त दुग्ध सप्लाई/विक्रय वितरक द्वारा नही की जायेगी अन्यथा वितरक पर उचित शास्ती आरोपित की जायेगी। फिर भी वितरक संघ विपणन विभाग को उचित जगह पर एजेन्सी देने के लिए परामर्श दे सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

31. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुरूप होगी।
32. दर संविदा की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं समस्त संशोधनों के अनुरूप सम्पादित की जावेगी।
33. स्वीकृत निविदादाता को अपने वाहन में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व G.P.R.S. System स्वयं के खर्चे से लगाना होगा। इसके अभाव में कार्यादेश दिया जाना संभव नहीं होगा। निविदादाता इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो यह सुनिश्चित करेगा। यदि छेड़छाड़ की जाती है तथा दुग्ध सप्लाई के दोरान जीपीएस बन्द पाया जाता है तो शास्ती आरोपित की जायेगी।
34. संघ में दुग्ध से भरे क्रेटस सरस डेयरी के ही दिये जाने के बाद खाली क्रेटस सरस के अलावा अन्य ब्रान्ड के क्रेटस स्वीकार नही होगें। यदि कोई अनुबंधक अन्य ब्रान्ड के क्रेटस डेयरी में लाने पर अन्य ब्रान्ड का क्रेटस जब्त कर लिया जावेगा साथ ही प्रबंध संचालक के दिशा–निर्देशानुसार प्रति क्रेटस के हिसाब से शास्ती लगायी जायेगी।
35. निविदादाता को पूर्व दो वर्ष की रिर्टन फाईल लगानी होगी। सफल निविदादाता को जीएसटी न. व फुड लाईसेन्स उपलब्ध करवाने होगें।
36. सीकर शहर के लिए जोन ए और जोन बी दोनो में अलग–अलग फार्म लिए जाएंगे, जिसके लिए वाहन 407 व टैम्पों के दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
37. निविदादाता को दो वर्ष का टर्नऑवर (सशर्त सं. 3.8 के अनुसार) इनकम टैक्स रिटर्न एवं ऑडिटेड बैलेन्स शीट लगानी होगी। टर्न ऑवर मार्ग के अनुसार नही होने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।
38. एक मार्ग मे निविदादाता द्वारा एक ही निविदा फार्म भरा जायेगा अन्यथा संघ कमेठी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
39. सीकर एवं झुझुनूं शहर मे सप्लाई करने हेतु सफल निविदादाता को संघ प्रबन्धन द्वारा निर्धारित संख्या मे छोटे वाहन दुग्ध सप्लाई हेतु उपलब्ध करवाने होगें
40. सीकर दुग्ध संघ द्वारा समय समय पर नियम एंव शर्तो मे किया जाने वाला संशोधन/परिवर्तन मानने हेतु अनुबंध कर्ता बाध्य होगा।
41. सफल निविदादाता को सप्लाई हेतु इन्सुलेटेड वाहन पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना होगा, जिसमे एक चालक व एक हैल्पर आवश्यक होगा ।
42. निविदादाताओं की समान दरें प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम दर निविदादाताओं से नेगोशियेसन किया जाएगा। न्यूनतम दर वाले को सफल निविदादाता माना जाएगा।
43. सीकर एवं झुंझुनूं नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्र मे मुख्य वाहन से दुग्ध प्राप्त कर आगे वितरण हेतु आवश्यकतानुसार/संघ के निर्देशानुसार इनसुलेटेट टैम्पु की व्यवस्था करनी होगी। जिसका सम्पूर्ण व्यव निविदादाता की दर मे शामिल माना जायेगा। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
44. अनुबंधक द्वारा किसी भी शर्त का उलघन्न करने अथवा संघ को वित्तिय हानि पहुंचाने का प्रयास करने अथवा संघ को धोखे मे रखने अथवा संघ की व्यवस्था मे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न करने पर संघ द्वारा शास्ति आरोपित की जायेगी व आवश्यकता पड़ने पर जमा सुरक्षा राशि व बैंक गारन्टि जब्त कर ली जायेगी।
45. निविददाता को खाली कैरेट संघ द्वारा दिये गये निर्धारित समय पर जमा करवानी होगी। अन्यथा प्रबन्ध संचालक द्वारा अनुबंध ठेकेदार पर शास्ती लगाई जा सकेगी।
46. संघ द्वारा अनुबंध ठेकेदार को प्रातः एवं सायंकालीन सप्लाई करने के आदेश दिये जाने के बावजूद ठेकेदार एक समय सप्लाई करता है, तो स्वीकृत परिवहन दर पर 25 प्रतिशत कटौती कर दर का 75 प्रतिशत ही भुगतान किया जाएगा।
47. उपरोक्त समस्त शर्ते मैंने पढ़ ली है व मान्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक :–

नाम :–

पूर्ण पता :–

मय मोबाईल नम्बर

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर डेयरी

सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़,

उक्त निविदा निम्न 10 मार्ग व एक उत्पाद परिवहन के लिए है। जिसकी राशि/वाहन का प्रकार का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं,	मार्ग का नाम	अनुमानित परिवहन दुरी (लगभग) प्रतिदिन कि.मी.	सप्लाई पारी प्रातः/सांय	अनुमानित दुग्ध विक्रय लीटर औसत प्रतिदिन	धरोहर राशि रु. (लाखों में)	सुरक्षा राशि बैंक गारन्टी के रूप में (लाखों में)	क्रेट्स सुरक्षा राशि (लाखों में)	बैंक गारन्टी की अवधि	वाहन प्रकार	वार्षिक अनुमानित लागत (लाखो मे	अमानत राशि रू.
1	रानोली लोसल मार्ग सायं 01	200 कि.मी.	सायं 01	1800	1.00	1.50	1.00	30 माह	पिकअप	07	100000
2	सीकर शहर जोन ए प्रातः एवं सायं	100 कि.मी.	प्रातः 01 सायं 01	5000	1.00	6.00	2.00	30 माह	407	20	100000
3	सीकर शहर जोन बी प्रातः एवं सायं	100 कि.मी.	प्रातः 01 सायं 01	5000	1.00	6.00	2.00	30 माह	407	20	100000
4	खाटू दांतारामगढ़ मार्ग प्रातः	250 कि.मी.	प्रातः 01	3600	1.00	5.00	1.50	30 माह	407	15	100000
5	नीमकाथाना मार्ग सांय 01	200 कि.मी.	सायः 01	3000	1.00	6.00	2.00	30 माह	407	20	100000
6	रींगस दिवराला मार्ग प्रातः	200 कि.मी.	प्रातः 01	3000	1.00	5.00	1.00	30 माह	407	20	100000
7	रामगढ़ मार्ग प्रातः एवं सायं	200 कि.मी	प्रातः 01 सायंः 01	5000	1.00	6.00	1.50	30 माह	909	15	100000
8	खेतड़ी मार्ग प्रातः 01	300 कि.मी.	प्रातः 01	5000	1.00	6.00	2.00	30 माह	909	20	100000

निविदादाता के हस्ताक्षर

9	गुढ़ा मार्ग प्रातः 01	200 कि.मी	प्रातः 01	3600	1.00	5.00	1.50	30 माह	407	15	100000
10	श्रीमाधोपुर मार्ग सायं 01	200 कि.मी	सायंः 01	2500	1.00	4.00	1.50	30 माह	407	15	100000

निविदादाता को अमानत राशि 100000/–, निविदा शुल्क रु. 1000/– जो कि सीकर एंव झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, पलसाना सीकर एवं टेण्डर प्रोसेसिंग राशि रु. 500/– एमडीआरआईएसएल जयपुर के नाम डी.डी. निर्धारित तिथि तक दुग्ध संध कार्यालय मे जमा कराना होगा। आवश्यकतानुसार फीडर मार्ग पर इन्सूलेटेड वाहन लगाने होगे। इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही होगी।

नोट :–दुग्ध परिवहन मार्गो के सरस दुग्ध विक्रय केन्द्रो व कस्बो की सूची/ विवरण संघ कार्यालय से कार्यालय समय मे आकर प्राप्त कर लेवे। सरस दुग्ध के विक्रय की संभावना व परिस्थितियो के अनुसार दुग्ध परिवहन मार्गो मे संशोधन करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के सुरक्षित रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर डेयरी

सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़,

उक्त निविदा निम्न 10 मार्ग व एक उत्पाद परिवहन के लिए है। जिसकी राशि/वाहन का प्रकार का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र सं	मार्ग का नाम	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक एवं समय	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	निविदा शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	रानोली लोसल मार्ग सायं 01	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
2	सीकर शहर जोन ए प्रातः एवं सायं	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
3	सीकर शहर जोन बी प्रातः एवं सायं	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
4	खाटू दांतारामगढ़ मार्ग प्रातः	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
5	नीमकाथाना मार्ग सांय 01	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
6	रींगस दिवराला मार्ग प्रातः	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

7	रामगढ़ मार्ग प्रातः एवं सायं	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
8	खेतड़ी मार्ग प्रातः 01	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
9	गुढ़ा मार्ग प्रातः 01	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
10	श्रीमाधोपुर मार्ग सायं 01	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।
11	उत्पाद सप्लाई	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 29.09.2021 प्रातः 10.00 बजे से 14.10.2021 सांय 05.00 बजे तक	दिनांक 16.10.2021 दोपहर 01.00 बजे तक संघ कार्यालय में	दिनांक 18.10.2021 दोपहर 2.00 बजे	सफल निविदादाता को बाद में सूचित किया जावेगा।

नोट :– निविदादाता अपने डी.डी. के पीछे अपना नाम व मोबाईल नम्बर व मार्ग का नाम लिखे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर डेयरी

सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़

STATEMENT OF VEHICLE OF AVAILABLE WITH THE TENDER

Name of the firm:- …………………………………….

S.No.	Vehicle Regestration No in full	Name of the person in whose name the vehicle is registred with transport deptt.	Year of Mfg/Modal	Apply for the Name of Route
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Note:-

1. Attach extra sheet, if number of vehicle are more.
2. Only thoseVehicleof successful tenderer shall be considered for allotment if a copy of Registration Certifcate issued by Transport Authority is enclosed with the tender. It is, therefore, required that tenderer should enclosed a copy of Registration Certifcate of vehicle at the time of submission of tender failling which Vehicle shallnot be considered for allotment. The inspection of Vehicle and verification of its related paper(s) shall be done by the Sikar & Jhunjhunu zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana for the Vehicle approved by CPDUSS., Palsana for allotment.
3. Vehicle model older than year 2014 will not be considerd for allotment.

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध का प्रारूप

AGREEMENT

This agreement has been made on this…………………Day of month…………….Year…………… between Shri……………………..S/o………………… R/o…………….. (hereinafter called the route distributor) which in expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) and the Managing Director of Sikar & Jhunjhunu zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana (hereinafter called to the sangh) which in expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the Managing Director for the purpose.

Where as the distributor has agreed to purchase the milk & milk products from Sangh by paying the purchase value of milk & milk products as cash payment basis and will supply the products as per instruction of sangh at the specified destination and will maintain cold chain to keep safe grand the quality of products on the other hand to up keep this contract the sangh will sale/supply the milk & milk products to the distributors as per the terms and conditions & the manner set forth in the tender documents which is the part of the contract and appended here with and the agreement.

Now the contract conditions are witnessed on follows.

1. Where as the distributor has deposited Rs…………../- vide Sangh receipt No. ………….Dated…………….. as security deposit for the due performance of the aforesaid agreement and bank guarantee of Rs. …………..Issued by bank………………….Place ………………inform of sangh valid form………………….to ……………….in performance of contracted job, both parties agrees as under :-

2. The condition of the tender and contract enclosed the tender notice no. …………Dated…………….and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on both the parties executing this agreement.

3. Whereas this agreement has/ will come into force for the period with effect from…………..and will remain in force upto…………………and can be terminate earlier also by given of suitable notice by the Managing Director, Sikar & Jhunjhunu zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana to the…………………………………

4. In case of non fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the distributor penalty at the rates mentioned in the terms and conditions attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the distributor's property in case security is not sufficient to recover the damage of the sangh. The contract can also be terminated in such case.

5. In the event of the distributor shall be responsible for made alternate arrangement for the prescribed manner. In case of the distributor due to some lapses on par

6. t of the distributor, distributor will have to bear the losses sustained by Sangh. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretations of this agreement shall be decided by the Managing Director of the Sangh and decision of the Managing Director shall be final and binding on both the parties executing the agreement.

7. The jurisdiction of the disputes is restricted to Palsana only.

In witness of the parties here to set their hands on this…………………Day of………….2021.

Signature of Distributor — Signature for and on behalf of the sangh

Witness : — Witness :

1. …………………….. — 1. …………………..

2. …………………… — 2. …………………..

निविदादाता के हस्ताक्षर

बैंक गारन्टी का प्रारूप

This deed of Guarantee made this day of (Twenty ___________________) by ___________ hereinafter referred to Bank, which shall unless repugnant to the context or the meaning thereof includes its legal representative, successors and assigns and the Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana, (hereinafter referred to as the SANGH) which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of include its legal representative, successors or assigns.

WHEREAS the Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana, has awarded a contract dated ____________for distributorship of SARAS packed milk on the route name ________________as per the tender terms and conditions of Sikar-Jhunjhunu Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Palsana, AND WHEREAS the Distributor has agreed to submit a performance security in the form of a Bank Guarantee to the Sangh as per the terms condition of Agreement contract which will be kept valid up to from the date of Bank Guarantee. AND WHEREAS, the bank and its duly constituted agent and officer has already understood the agreement contract made between the Sangh and the distributor.

In consideration of the SANGH having agreed to award the contract on the distributor, we (the Bank), do hereby guarantee, undertake, promise and agree with the Sangh, its legal representatives, successors and assigns that the within name M/s ___________________________their legal representative and assignees will faithfully perform and fulfill everything within the binding document and the agreement contract on their part to be performed of fulfilled, at the time (time being the essence of the contract) and in the manner herein provided do all obligations there under and we further undertake, and guarantee to make payment to Sangh a sum of Rs. _________ (Rs._____________ only) in cases the distributor their legal representative and assignees do not faithfully perform and fulfill everything within the binding documents and all contract order/ terms and conditions on their part to be performed or fulfilled, at the time and in the manner herein provided and do not willfully and promptly do all obligation there under. In case the distributor fails to perform or fulfill the agreement as per the terms and conditions agreed upon, the Sangh is entitled to demand and amount Rs.___________(Rs. _________only) from the distributor and demand made by the Sangh itself will be conclusive evidence and proof that the distributor has failed to perform of fulfill his obligations under agreement contract and neither the distributor nor the Bank shall be entitled to raise any dispute regarding the reasons for the failure or performance of fulfillment on any ground whatsoever. We the ___________________Bank (Name & Address) do hereby undertake to pay an amounting Rs. ___________(Rs. ___________only) being the amount, due and payable under this guarantee, without any demur, merely on a demand from the Sangh Stating that the amount claimed in due by way of non performance of the contractual obligations as aforesaid by the distributor failure to perform the said contractual commitments any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee, however our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ___________(Rs._________only) . We the Bank, further agree that the performance security contained shall remaining in full force up to _________ from the State of Bank Guarantee of till the Sangh certifies that the terms and condition of the said contract have been fully and properly carried out by the distributor/transporter and accordingly discharge the guarantee, unless a demand of claim under these guarantee is made on us in writing by the Sangh on or before ____________________. We shall be discharged from all liabilities under this performance security hereafter.

(Signed & sealed by the tenderer

in token of acceptance of above)

We, _________________________(Name & address of Bank), further agree with the Sangh that the Sangh shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary

निविदादाता के हस्ताक्षर

any of the terms and conditions of the binding documents and agreements contract or to extend the time of performance by the said distributor from time to time for any of the power exercisable by the Sangh against the distributor and do forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said binding documents and the agreement contract and we shall be relived our liability by reason of any such variation, of extension being granted to the said distributor, or for any forbearance, act omission on the part of the Sangh to the said distributor by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so reliving us.

This Guarantee shall be in addition to and without prejudice to any other securities of remedies which the Sangh may have or hereafter possess in respect of the works executed or intended to the executed and the Sangh shall be under no obligation to marshal in favor of the Bank any such securities of fund of assets that the Sangh may be entitled to receive or have a claim upon and the Sangh at its absolute discretion may vary, exchange, renew, modify of refuse to complete to enforce or assign any security or instrument.

The Bank agree that the amount here by guaranteed shall be due to payable to the Sangh on serving us with a notice, requiring the payment and such notice shall be deemed to have been served on the bank either by actual delivery there of to the bank or by dispatch there of to the bank by registered post at the address of the bank.

In order to give full effect to the provisions of this guarantee the bank hereby waives all right inconsistent with the above provisions and which the bank might otherwise as a guarantor be entitled to claim and enforce.

We, _____________________(Name & address of Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency with the previous consent of the Sangh in writing and the guarantee shall be continuous and irrevocable guarantee up to a sum of Rs. _________(Rs. __________only) (guarantee amount). The Bank Guarantee shall be valid up to __________________ unless a demand or claim in writing is made on us before _________________. After it the guarantee will automatically cease the validity.

Place:

Date : Signature

Seal

Code No.

(Signed & sealed by the tenderer

in token of acceptance of above)

निविदादाता के हस्ताक्षर

सीकर ड़ेयरी

सीकर एवं झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़,

टेण्डर फार्म भाग “ब” (वित्तीय निविदा) नमूना

पाश्चराईज्ड दुग्ध/उत्पाद वितरण , राशि एंव क्रेट्स संग्रहण कार्य हेतु

क्र. सं,	मार्ग का नाम	दर अंको में	दर भाब्दो में
1			

Rate Only BOQ File

नोटः–

1. निविदादाता द्वारा संध कार्यालय मे जिस मार्ग हेतु अमानत राशी की डी.डी. जमा करावायी गयी है। उसी मार्ग की दरें वित्तीय निविदा मे मान्य रहेगी। डीडी संघ में जमा नही करवाने के अभाव में निविदा निरस्त मान्य होगी।
2. वित्तीय निविदा मे दरें प्रति लीटर के रुप मे दर्शानी होगी एवं पार्ट ''ब'' मे कोई कॉट छॉट/ओवरराईटिंग न करें। विवादास्पद स्थिति मे शब्दो मे लिखी गई दर ही अन्तिम रुप से मान्य होगी।
3. निविदादाता द्वारा उक्त मार्गो की दर संलग्न BOQ एक्सल फाईल मे अपलोड करनी होगी, तथा उक्त मार्ग eproc.rajasthan.gov.in पर अलग–अलग मार्ग से दर्शाया जायेगा। जिसको प्रत्येक मार्ग के अनुसार अपलोड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील एवं पूरा पता

SIKAR & JHUNJHUNU ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.SIKAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुढ़ा प्रातः	खेतड़ी प्रातः	रींगस दिवराला प्रात	खादुदांता प्रातः	रानोली लोसल सायं	रामगढ़ फतेहपुर प्रातःसांय	सीकर प्रातः / साय	सीकर प्रातः / साय	नीमकाथाना सायं	श्रीमाधोपुर सायं
खण्डेला	माउन्डा	मण्ढा	गोवटी	रानोली	लक्ष्मणगढ़	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र जोन ए	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र जोन बी	चोकड़ी	भदाला की ढाणी
कोटड़ी	बबई	सामोताकाबास	खाटुश्याम जी	शिष्यु	फतेहपुर			चला	गोविन्द पुरा
छापोली	पपुरना	ठीकरीया	धिंगपुर	बेद की ढाणी	डाडण			सिरोही	जाजोद
गुहाला	करमाड़ी	बावड़ी	बाय	सांगरवा	रूपसासर	पिपराली रोड़ नवलगढ़ रोड़ फतेहपुर रोड . लुहारू स्टेण्ड कलेक्ट्रेट के सामने स्थित पार्लर रेल्वे कॉलोनी राधाकिसनपुरा हाउसिंह बोर्ड नया नवलगढ़ रोड़ पिपराली रोड़	मण्डी, डिपो चोराहा पुरोहितजी की ढाणी बसन्त बिहार सांवलीसर्किल,तोदीनगर, रामलीला मैदान, सालासर बस स्टेण्ड क्षेत्र, रोसनगंज, धोद रोड़, आदि	नीमकाथाना	निमेड़ा
मणकसास	कोलीयान	रींगस	खाचरीया वास	गोरीया	बेसवा			भुदौली	रलावता
मण्डावरा	खेतड़ी	जालपाली मोड़	कुली	रेवासा	रामगढ़			गांवड़ी	श्रीमाधोपुर
ताल	कोपर	श्रीमाधोपुर	रामगढ़	जीणमाता				गणेशर	हांसपुरा
जहाज	सिंघाना	महरोली	दांता	कोछोर				टोटा	जोरावर नगर
मावता	निजामपुर मोड़	नाथुसर		खुड़				रायपुर	कोटड़ी
चवरा	जसरापुर	मुण्डरू		लोसल					सीमारला
चोपुल्या	टिबाबसई			सिंगरावट					
	मेहाड़ा,गोरी			धोद					
	दुधवा पचेरी			हर्ष मण्डावरा					

नोट – उपरोक्त सूची में दशार्य गये गावं / कस्बो में संशोधन / बदलाव का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय के पास सुरक्षित है जिसे निविदादाता को मान्य होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर